न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डार,(स0मा0)

पीठासीन अधिकारीः— वर्षा मीना (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
18 / 2021	14.06.2021	18.05.2026

1. कन्हैया पुत्र काना जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
2. पून्या पुत्र काना जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
3. रामहरि पुत्र काना जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
4. मुकेश पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
5. विमलेश पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
6. सुरजा पत्नि रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
7. कोशल्या पुत्री रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
8. जनता पुत्री रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।

वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र विशनलाल बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
2. मुरारी पुत्र रामनारायण बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
3. मुकेश पुत्र रामानारायण बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
4. पाना पत्नि रामानारायण बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
5. मूर्ति उर्फ ममता पत्नि मुरारी बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
6. कल्पना पत्नि मुकेश बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।

प्रतिवादीगण

दावा स्थायी निषेधाज्ञा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956

उपस्थिति :—

श्री अंजनी कुमार तेहरिया, धर्मेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादी की ओर से

निर्णय

1. वादी द्वारा यह वादपत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 का इस आशय का पेंश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है।

   - यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण ग्राम सुमनपुरा तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर के निवासी है तथा काश्तकार पेशा व्यक्ति है।
   - यह कि वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 878 / 220 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम सुमनपुरा में है जिसको वादीगण काश्तकर लगान सरकारी अदा करते चले आ रहे है।
   - यह कि वादीगण ने उक्त आराजी में इस वर्ष चने की फसल कात की है जो मौके—पर सरसब्ज खडी है। इस आराजी के चारों तरफ वादीगण ने तार की फेन्सिंग कर रखी है।
   - यह कि प्रतिवादीगण ने एक गिरोह नाजाईज बना रखा है तथा सरकश व लडाकु किस्म के व्यक्ति है तथा आये दिन प्रतिवादीगण वादी को जानी व माली नुकसान पहुँचाने तथा झूठे मुकदमों में फंसाकर उक्त आराजी पर लठ्ठ के जोर पर कब्जा करने तथा चने की फसल काटकर ले जाने पर आमादा है जिनका उनको कोई वैधानिक अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

- यह कि दिनांक 10.03.2021 को शाम को 5 बजे रामी प्रतिवादीगण हाथो में लाठी गण्डारी एंव डण्डे लेकर वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी पर आ गये और आते ही प्रतिवादीगण ने वादीगण से कहा कि हम इस जमीन से चने काटकर ले जोवेंगे और तुमने मना किया या विरोध किया तो तुम्हें झूठे मुकदमें में फंसाकर गिरफ्तार करा देंगे यह धमकी देने लगे तो वादीगण ने कहा कि यह आराजी हमारी खातेदारी एंव कब्जे काश्त की है तथा इसमें चने की फसल हम वीदगण ने काश्त की है और हम ही इसे काटेंगे तो रामी प्रतिवादीगण नाराज हो गये तथा लाठी गण्डारी एंव डण्डे उठाकर मारने पीटने पर आमादा हो गये तो आवाज सुनकर पडौस के लागो ने वादीगण को बचाया।यह कि वादीगण के समक्ष एक यह विकल्प है कि वह माननीय न्यायालय की शरण लेकर प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द करावें कि वादीगण की खातेदारी एंव कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 878/220 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम सुमनपुरा में काश्त चने की फसल में तथा तैयार होकर कटने तक किसी भी तरह की बाधा ना तो स्वयं उत्पन्न करे ना ही अपने किसी व्यक्ति या ऐजेन्ट से ऐसा करावें।

- यह कि विनाय दावा दिनांक 10.03.2021 को उत्पन्न हुआ है।

- यह कि वादीगण एंव प्रतिवादीगण श्रीमान् के क्षेत्राधिकार के निवासी है तथा विवादित भूमि भी माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है इसलिए दावा हाजा को सुनने का अधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

- यह कि यह दावा टिनेन्सी एक्ट की धारा 188 के तहत माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।यह कि दावा अन्दर मियाद 2/– रूपये की कोर्ट फीस पर पेश है।यह कि वादीगण का वाद वादी के हित में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार सादिर फरमाया जावें।

  (क) घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से इस अमर के लिए पाबन्द फरमाया जावे कि वादीगण की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 878/220 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम सुमनपुरा में काश्त चने की फसल में तथा तैयार होकर कटने तक किसी भी तरह की बाधा या अवरोध ना तो स्वयं करें और ना ही अपने व्यक्ति या ऐजेन्ट से ऐसा करावें तथा प्रतिवादीगण को सदा के लिये पाबन्द किया जावें।

  (ख) खर्चा मुकदमा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवायाजावें ।

  (ग) अन्य अनुतोष जो वादीगण के हित में लाभप्रद हो प्रदान कियाजावें ।

2. वादी के दावा को कार्यालय रिपोर्ट उपरान्त दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगणों को जर्ये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। प्रतिवादीगणों को बार–बार आवाज लगाने पर उपस्थिति नहीं होने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाकर पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

3. वादी की ओर से अपने वाद पत्र के समर्थन में शपथ पत्र पेश किये गये। जिसमें PW1 के रूप में कन्हैया पुत्र काना माली नकल जमाबन्दी सम्बत् 2076–79 के खाता संख्या 42 पेश की गई जो प्रदर्श–1 है, खसरा गिरदावरी सम्बत् 2081 की खसरा नम्बर 878/220 पेश की गई जो प्रदर्श– 2 है। खसरा गिरदावारी सम्बत् 2056–2059, 2044–47, 2048–51, 2040–44, 2064–67, 2068–71, 2032–35 पेश की गई जो क्रमशः प्रदर्श–3 से प्रदर्श–9 है। PW2 के कन्हैया पुत्र पंसुर माली के शपथ पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

4. पत्रावली का अवलोकन किया व उभयपक्ष विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। वादीगण द्वारा वादी कन्हैया पुत्र काना व गवाह कन्हैया पुत्र पंसुर का शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादीगण विवादित आराजी पर लट्ठ के ज़ोर से क़ब्ज़ा करने पर आमादा है। प्रदर्श–1 नक़ल जमाबंदी संवत् 2076–79 अनुसार खसरा नंबर 878/220 में कन्हैया, पून्या, रामसहाय, रामहरी पिसरान काना हिस्सा 1/3 के खातेदार दर्ज है। प्रदर्श–2 नक़ल खसरा गिरदावरी (संवत् 2081) व प्रदर्श–8 नक़ल खसरा गिरदावरी (संवत् 2068–71) अनुसार वादी संख्या 1 लगायत 3 व रामसहाय पुत्र काना के नाम खसरा नंबर 878/220 में 1/3 हिस्से की भूमि पर फसल काश्त दर्ज है। उक्त दस्तावेज़ो से वादीगण विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार सिद्ध होते है। वादीगण विवादित आराजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने के कारण खातेदारी अधिकारों के संरक्षण हेतु दोषपूर्ण बेदख़ली के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है। वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया है कि प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की विवादित आराजी में काश्त चने की फसल में तथा तैयार होकर काटने तक किसी भी तरह से बाधा उत्पन्न नहीं करे एवं विवादित आराजी में क़ब्ज़े काश्त में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करे। यदि फसल विशेष में कोई नुक़सान होता है तो उस के संबंध में नुक़सान का आँकलन कर धनीय अनुतोष दिया जाना संभव है इसलिए फसल विशेष के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा दिया जाना उचित नहीं है। लेकिन वादीगण विवादित आरजी में 1/3 हिस्से के खातेदार काश्तकार होने के कारण खातेदारी अधिकारों के संरक्षण हेतु दोषपूर्ण बेदख़ली के विरुद्ध व्यादेश प्राप्त करने के अधिकारी है। उक्त विवेचन के आधार पर प्रतिवादीगण को वादी के क़ब्ज़े के हिस्से की भूमि तक किसी प्रकार से क़ब्ज़े काश्त में किसी प्रकार से बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

5. वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 878/220 रकबा 03 बीघा वांके ग्राम सुमनपुरा में 1/3 हिस्से में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)पुर)

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुकाम खण्डार

इजलासः— वर्षा मीना आर0ए0एस0

उनवान

1. कन्हैया पुत्र काना जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
2. पून्या पुत्र काना जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
3. रामहरि पुत्र काना जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
4. मुकेश पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
5. विमलेश पुत्र रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
6. सुरजा पत्नि रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
7. कोशल्या पुत्री रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
8. जनता पुत्री रामसहाय जाति माली निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।

वादीगण

बनाम

1. रामनारायण पुत्र विशनलाल बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
2. मुरारी पुत्र रामनारायण बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
3. मुकेश पुत्र रामानारायण बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
4. पाना पत्नि रामानारायण बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
5. मूर्ति उर्फ ममता पत्नि मुरारी बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।
6. कल्पना पत्नि मुकेश बैरवा निवासी क्यारदा खुर्द तहसील खण्डार।

प्रतिवादीगण

मुकदमा नम्बर 18/2021 दावा बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री अन्जनी कुमार तेहरिया, श्री धर्मेन्द्र चौधरी अधिवक्ता की उपस्थित में इस वाद के आज तारीख 20.05.2026 को वर्षा मीना आर0ए0एस0 के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी संख्या 1 लगायत 8 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी खसरा नंबर 878/220 रकबा 03 बीघा वांके ग्राम सुमनपुरा में 1/3 हिस्से में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें, न ही अन्य किसी व्यक्ति से करावें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 18.05.2026 को जारी किया गया।

(वर्षा मीना)
उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (स.मा.)

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प प्रदेशों के लिए स्टाम्प रूपयें दर प्लीडर की फीस सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील			शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामील		

उपखण्ड अधिकारी
खण्डार (सवाई माधोपुर)